CAB.No.(by email)/09.06.002/2024-25 17 जून 2025

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
शहरी सहकारी बैंक (Level I और Level II)

महोदय / महोदया,

शहरी सहकारी बैंकों (Level I और Level II) के मध्यम और वरिष्ठ स्तर के पदाधिकारियों हेतु भुगतान और निपटान प्रणाली कार्यक्रम – 14-16 जुलाई, 2025 (आवासीय)

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे **शहरी सहकारी बैंकों (Level I और Level II)** के **मध्यम और वरिष्ठ स्तर के पदाधिकारियों** के लिए **14-16 जुलाई, 2025** के दौरान **भुगतान और निपटान प्रणाली** पर **तीन दिवसीय आवासीय कार्यक्रम** आयोजित कर रहा है।.

2. उद्देश्य

- भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली में नवीनतम विकास के बारे में ज्ञान प्रदान करना।
- डिजिटल भुगतान में ग्राहक सुरक्षा और मुआवजे पर विभिन्न दिशानिर्देशों के बारे में प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाना.
- भुगतान और निपटान प्रणाली से जुड़े विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए कौशल विकसित करना.

3. स्थान और आवास

यह कार्यक्रम आवासीय है। ठहरने और खाने की व्यवस्था पुणे के सीएबी परिसर में की जाएगी.

4. पाठ्यक्रम सामग्री

कार्यक्रम की विस्तृत पाठ्यक्रम सामग्री अनुबंध में दी गई है.

5. नामांकन

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया **07 जुलाई 2025** तक कार्यक्रम के लिए उपयुक्त अधिकारी को नामित करें। कार्यक्रम के लिए नामांकन फॉर्म संलग्न है। नामांकन फॉर्म कृपया nomination.itps@rbi.org.in पर भेजे जा सकते हैं। नामांकन संबंधी पूछताछ के लिए आप नामांकन डेस्क - श्री अमित पाटील से संपर्क कर सकते हैं (ईमेल आईडी: nomination.itps@rbi.org.in, Telephone No. 020-25582344).

कृपया ध्यान दें: नामांकन की स्वीकृति प्राप्ति की शीघ्रता पर निर्भर करेगी, अतः नामांकन शीघ्रातिशीघ्र भेजें. प्रतिभागिता शुल्क का भुगतान महाविद्यालय द्वारा नामांकन का पुष्टिकरण होने के बाद ही करें। आवासीय कार्यक्रमों के मामले में, बैच साइज की बाधा होती है, यदि सीटें नामांकन की अंतिम तिथि से पहले पूरी हो जाती हैं, तो अंतिम तिथि से पहले भेजे जाने पर भी नामांकन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

स्मरण हेतु महत्वपूर्ण तिथियाँ	
कार्यक्रम की तारीख	14-16 जुलाई, 2025
नामांकन भेजने की अंतिम तारीख	07 जुलाई 2025
CAB में रिपोर्टिंग	13 जुलाई, 2025 (शाम) तक
कार्यक्रम समाप्ति	16 जुलाई, 2025 (बुधवार) को शाम 5.30 – 6:00 तक

भवदीय,

(सौगत चक्रबर्ती)

संलग्न: ऊपरोक्त अनुसार

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, विद्यापीठ मार्ग, पुणे - 411 016 (महाराष्ट्र) भारत
फोन : (91-020) 25582361 फैक्स : (91-020)25538959 ई-मेल: principalcab@rbi.org.in

College of Agricultural Banking, University Road, Pune - 411 016, (Maharashtra), INDIA
Phone : (91-020) 25582361 Fax : (91-020) 25537756E-mail : principalcab@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइये

अनुबंध

मॉड्यूल 1: भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली का अवलोकन

- भुगतान और निपटान प्रणाली के प्रकार
- भुगतान प्रणाली का प्राधिकरण
- पीएसएस अधिनियम, 2007 के महत्वपूर्ण प्रावधान

मॉड्यूल 2: भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए नियामक दिशानिर्देश

- पीएसएस पर विजन दस्तावेज
- नवीनतम विनियामक विकास

मॉड्यूल 3: एनपीसीआई संचालित भुगतान प्रणाली

- एनएसीएच, सीटीएस
- एईपीएस, डीबीटी
- यूपीआई, आईएमपीएस, भीम
- एनईटीसी

मॉड्यूल 4: आरबीआई संचालित भुगतान प्रणाली- आरटीजीएस और एनईएफटी

मॉड्यूल 5 - डिजिटल भुगतान में उपभोक्ता संरक्षण

- ऑनलाइन विवाद समाधान
- टीएटी का समानीकरण
- एकीकृत लोकपाल योजना

मॉड्यूल 6: डिजिटल भुगतान - जोखिम और सुरक्षा नियंत्रण

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, विद्यापीठ मार्ग, पुणे - 411 016 (महाराष्ट्र) भारत
फोन : (91-020) 25582361 फैक्स : (91-020)25538959 ई-मेल: principalcab@rbi.org.in

College of Agricultural Banking, University Road, Pune - 411 016, (Maharashtra), INDIA
Phone : (91-020) 25582361 Fax : (91-020) 25537756E-mail : principalcab@rbi.org.in
हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइये

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1969 में ग्रामीण और सहकारी बैंकिंग में प्रशिक्षण इनपुट प्रदान करने के लिए कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी) की स्थापना की गई। इसके बाद, भारतीय वित्तीय क्षेत्र की बदलती अपेक्षाओं को ध्यान में रखे हुए, महाविद्यालय द्वारा कृषि बैंकिंग, एमएसएमई वित्तपोषण, वित्तीय समावेशन और साक्षरता, मानव संसाधन और नेतृत्व आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपने दायरे का विस्तार किया गया। अकादमिक वर्ष 2021 से महाविद्यालय द्वारा चार फोकस एरिया (4C) यथा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, ग्राहक सेवा और अनुपालन प्रबंधन की पहचान की गई हैं ताकि वित्तीय प्रणाली में मजबूती प्रदान करने और सेवा मानकों में वृद्धि करने के लिए बैंकरों तथा फाइनेंशियल प्रोफेशनलों की क्षमता निर्माण की जा सके।

महाविद्यालय द्वारा FAO, APRACA, CICTAB, UNDP और राष्ट्रमंडल सचिवालय जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से कार्यक्रम और अनुसंधान सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। इसी के साथ, महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के लिए उनकी आवश्यकतानुसार कस्टमाइज प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2015 से एमएसएमई वित्तपोषण के क्षेत्र में विशेषीकृत नैमकैब कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए नोडल संस्थान के रूप में नामित किए जाने के साथ ही वर्ष 2021 में मिशन 'अवतु' के अंतर्गत साइबर सुरक्षा पर शहरी सहकारी बैंकों के विभिन्न स्टेकहोल्डरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए महाविद्यालय को 'नोडल संस्थान' के रूप में नामित किया गया।